

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
डबल्यू.पी. (सी) सं. 732/ 2019

मो. कासिम.....

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, झारखंड, राँची।
3. उपायुक्त, चतरा।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमंडल शिक्षा अधिकारी, चतरा।
5. क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, चतरा।
6. प्रखंड विकास अधिकारी, राजपुर, चतरा।
7. प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जमरी, चतरा

.... उत्तरदाता गण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री इम्तियाज खान, अधिवक्ता

राज्य के लिए:

सुश्री प्रियंका बॉबी, जीए-I के एसी

05/

01.07.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता के अनुरोध पर, जैसा कि कार्यालय द्वारा बताया गया दोषों को अनदेखी की जाती है।

कुछ तर्क के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता, मो.इम्तियाज खान ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए सरकार के उचित प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी।

सुश्री प्रियंका बॉबी, जीए I के विद्वान एसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुमति दी जाती है।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है।

(राजेश शंकर, जे.)